

सभी खंडों के लिए सेवा प्रभार (सामान्य मामले) 03.11.2009 से लागू

क्रम संख्या	मद	संशोधित सेवा प्रभार	लगाने की विधि
1.	चेक बुक जारी करना <u>साधारण / मल्टीसिटी</u> - किसी भी खंड की	<u>मल्टीसिटी चेक के लिए</u> रु 3.00 प्रति चेक लीफ केवल बचत बैंक खातों में एक वर्ष में 25 चेक मुफ्त <u>साधारण चेक के लिए</u> रु 2.00 प्रति चेक लीफ केवल बचत बैंक खातों में एक वर्ष में 25 चेक मुफ्त	प्रणाली
2.	पास बुक / अतिशेष प्रमाण पत्र जारी करना	पासबुक / खाता विवरणी जारी करना - कुछ नहीं अतिशेष प्रमाण पत्र जारी करना - रु 100/-	मानवीय
3.	द्वितीयक पास बुक / खाता विवरणी	नवीनतम अतिशेष के साथ रु 100/- अतिरिक्त पुरानी प्रविष्टियों के लिए रु 100 प्रति 40 प्रविष्टियां	मानवीय
4.	भुगतान रोकने के निर्देश	रु 50/- प्रति चेक : 3 चेकों तक, चेकों की श्रृंखला (रेंज) रु 200/-	प्रणाली
5.	अतिशेष पूछ ताछ	कुछ नहीं	---
6.	बारह महीने से पहले खाता बंद करना (इसमें खाते का स्थानांतरण शामिल नहीं है)	एकल व्यक्ति : रु 150/- अन्य : रु 500/-	प्रणाली
7.	चेक वापसी प्रभार - हमारे बैंक पर आहरित	रु 75/- + दूसरे बैंक के प्रभार यदि हों	प्रणाली (दूसरे बैंक के प्रभार मानवीय विधि से वसूल किए जायेंगे)
8.	चेकों / हुंडियों को जमा करना / बिना भुगतान वापसी - स्थानीय	रु 75/- + दूसरे बैंक के प्रभार यदि हों	प्रणाली (चेकों के लिए) (हुंडियों के विषय में बैंक के प्रभार तथा दूसरे बैंक के प्रभार मानवीय विधि से वसूल किए जायेंगे)
9.	हस्ताक्षर सत्यापित करना	रु 50/-	मानवीय
10.	गैर-बकाया (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र	प्राथमिकता क्षेत्र में : कोई नहीं अन्य क्षेत्रों में - रु 100/- प्रति प्रमाण पत्र	मानवीय

11.	डिमांड ड्राफ्ट जारी करना	रु 10000/- तक:रु 30/- रु 10000/- से अधिक: रु 2.50 प्रति रु 1000/- न्यूनतम रु 50/- अधिकतम रु 12500/- नकद राशि जमा करके विप्रेषण करने के लिए नकदी को संभालने का प्रभार अतिरिक्त होगा	प्रणाली
12	ड्राफ्टों का पुनर्वैधीकरण करना/ रद्द करना	रु 100/-	प्रणाली
13.	द्वितीयक (डुप्लीकेट) डिमांड ड्राफ्ट जारी करना	रु 100/- प्रति ड्राफ्ट	प्रणाली
14.	बैंकर चेक जारी करना	रु 10000/- तक :रु 30/- रु 10000/- से अधिक: रु 2.50 प्रति रु 1000/- न्यूनतम रु 50/- अधिकतम रु 12500/- नकद राशि जमा करके विप्रेषण करने के लिए नकदी को संभालने का प्रभार अतिरिक्त लिया जायेगा	प्रणाली (नकदी को संभालने का प्रभार मानवीय विधि से लगाया जायेगा)
15.	बैंकर चेक का पुनर्वैधीकरण करना/रद्द करना	रु 100/-	प्रणाली
16.	द्वितीयक बैंकर चेक जारी करना	रु 100/-	प्रणाली
17.	चेकों की उगाही (अ) रु 10000/- तक (ब) रु 10001/- से रु 1,00,000/- तक (स) रु 100000/- से अधिक	रु 56/- प्रति चेक रु 112/- प्रति चेक रु 169/- प्रति चेक	प्रणाली
18	हंडियों की उगाही	रु 5000/- तक रु 50/- रु 5000/- से अधिक और रु 10000/- तक रु 75/- रु 10000/- से अधिक रु 6/- प्रति रुपये एक हजार न्यूनतम रु 100/- अधिकतम रु 12500+ पास से खर्च की गई राशि	मानवीय

19.	डीडी खरीद बाहरी जगहों के चेक	ब्याज @ 50 पैसे सैंकड़ा की दर से + उगाही प्रभार + पास से खर्च की राशि। यदि चेक बिना भुगतान के वापस आ जाता है तो 16% वार्षिक की दर से ब्याज – इसमें से @ 50 पैसे सैंकड़ा की दर से वसूल कर लिए गये उगाही प्रभार को समायोजित कर देने के उपरांत वसूल किया जायेगा।	प्रभार— प्रणाली के माध्यम से (चेक के नकारे (डिसआनर) जाने की स्थिति में अतिदेय ब्याज (ओवरड्यू इंटरेस्ट) मानवीय विधि से वसूल किया जायेगा)।
20.	जमा किए गये चेक/हुंडियों का बगैर भुगतान बाहर से वापस आना	रु 150/- + दूसरे बैंक के प्रभार यदि कार्ड हैं	प्रभार: प्रणाली के माध्यम से (दूसरे बैंक के प्रभार मानवीय विधि से वसूल किये जायेंगे)
21.	मुदती हुंडियों (यूसेंस बिलों) को दिखाना (प्रजेंटेशन)	रु 75/-	मानवीय
22.	डाक खर्च	साधारण : रु 15/- पंजीकृत/कूरियर: रु 35/-	चेकों की उगाही के मामले में प्रभार प्रणाली के माध्यम से अन्य मामलों में मानवीय विधि से
23.	न्यूनतम अतिशेष प्रभार	नगरीय/महानगरीय अर्द्ध नगरीय शाखाओं में बचत बैंक खाते रु 200/- प्रति तिमाही ग्रामीण शाखाएं रु 100/- प्रति तिमाही चालू खाते: सभी केन्द्रों पर एकल व्यक्ति – रु 500/- प्रति तिमाही अन्य – रु 1000/- प्रति तिमाही	प्रणाली
24.	अ-परिचालित खाते (इनओपरेटिव अकाउंट्स)	यदि किसी खाते में न्यूनतम अतिशेष की विनिर्दिष्ट अपेक्षा का पालन किया गया है तो कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जायेगा अन्यथा: रु 75/- प्रति वर्ष जब तक खाते में अतिशेष उपलब्ध है, उसके बाद, ग्राहक को नोटिस भेजकर खाता बन्द करना	यह प्रभार सीडीसी बेलापुर द्वारा एक वर्ष में एक बार ट्रिकल फीड विधि से वसूल किया जाता है।

25.	बचत बैंक खातों में अधिक संख्या में डेबिट प्रविष्टियों के लिए प्रभार	रु 5/- प्रति प्रविष्टि (एक छमाही में 30 से अधिक प्रविष्टियों के लिए) (वैकल्पिक चैनलों से भिन्न)	प्रणाली
26.	स्थाई आदेशों को (स्थापित करना (एस आई)	रु 50/-	प्रणाली
	स्थाई आदेश का प्रसंस्करण (बैंक अंतरण से भिन्न)	रु 25/- + विप्रेषण प्रभार + डाक खर्च	मानवीय
27.	मांग-पर-जमा (डिपाजिट-एक-काल) रसीद जारी करना (जारीकर्ता शाखा में ही अदायगी योग्य)	कुछ नहीं	मानवीय
28	चालू खातों/नकद उधार जमा (सीए/सीसी डिपाजिट) के लिए नकदी संभालने का प्रभार (वैयक्तिक खंड के ग्राहकों से भिन्न ग्राहकों के लिए)	एक बंडल तक : कुछ नहीं एक बंडल से अधिक - रु 100/- प्रतिबंडल अधिकतम रु 10000/-	मानवीय
29	सुरक्षित अभिरक्षा प्रभार (सेफ कस्टडी चार्ज) (अ) दस्तावेज (हर एक दस्तावेज के लिए) (ब) मुहर बंद लिफाफे (हर एक लिफाफे के लिए) (स) बैंक की अपनी जमा रसीदें	(अ)रु 100/- प्रति दस्तावेज न्यूनतम रु 200/- प्रति वर्ष या पूरे वर्ष के किसी भाग के लिए (ब) रु 200/- प्रति लिफाफा एक वर्ष या पूरे वर्ष के किसी भाग के लिए (स) कुछ नहीं	मानवीय
30.	सुरक्षा जमा मदें (आर्टीकल्स)	रु 500/- एक बार ही वसूल किए जाने वाला प्रभार+ लिफाफा - रु 100/- प्रतिवर्ष पैकेट - रु 500/- प्रतिवर्ष बड़े आकार के पैकेट/बाक्स - रु 1000/- प्रतिवर्ष (100 घन से.मी. अधिक से अधिक) इससे अतिरिक्त रु 20/- प्रति घन से.मी.	मानवीय

31.	सुरक्षा जमा लाकर्स वार्षिक प्रभार	<p>नया/आकार/किस्म =छोटा आकार 'ए' 125 X175X492 आकार 'बी' 159X210X492 <u>महानगरीय एवं नगरीय केन्द्र</u> रु 1000 /— <u>अर्द्ध नगरीय एवं ग्रामीण रु</u> <u>750 /—</u> मध्यम – आकार 'सी' : 125X352X492 आकार 'डी' : 189X263X492 आकार 'ई' : 159X123X492 आकार एच1': 325X210X492 <u>महानगरीय एवं नगरीय केन्द्र</u> : रु 2500 /— <u>अर्द्ध नगरीय एवं ग्रामीण : रु</u> 1500 /— बड़ा : आकार 'एफ': 278X352X492 आकार 'जी': 189X529X492 आकार 'एच': 325X423X492 <u>महानगरीय एवं नगरीय केन्द्र</u> : रु 3000 /— <u>अर्द्ध नगरीय एवं ग्रामीण : रु</u> 2500 /— अत्यधिक बड़ा आकार आकार 'एल': 404X529X492 आकार'एल1': 385X529X492 <u>महानगरीय एवं नगरीय केन्द्र</u> : रु 5000 /— <u>अर्द्ध नगरीय एवं ग्रामीण : रु</u> 4000 /— नोट:- यदि किसी लाकर की चाबी गुम हो जाती है तो लाकर के किरायेदार से लाकरों के निर्माता द्वारा लाकर को तोड़कर खोलने और ताले के बदलने पर आने वाले वास्तविक खर्च की वसूली के साथ ही साथ रु 500 /— की राशि भी सेवा प्रभार के तौर पर वसूल की जायेगी।</p>	प्रणाली (स्वचालित नहीं बनाई गई)
-----	-----------------------------------	---	---------------------------------

32.	ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र	(अ) गैर व्यापारिक: रू 300/- (ब) व्यापारिक : रू 250/- प्रति लाख न्यूनतम रू 1000/- अधिकतम रू : 15000/-	मानवीय
33.	फोटो प्रमाणित करने का प्रभार	रू 100/-	मानवीय
34.	रिकार्ड से चेक की नकल (कापी)	रू 50/- प्रति अवसर	मानवीय
35.	ब्याज का प्रमाण पत्र	पहली प्रति : मुफ्त अतिरिक्त प्रति : रू 50/- प्रति प्रमाण पत्र	मानवीय
36.	पुराने रिकार्ड से संबंधित जनकारियां (12 महीनों से अधिक पुराना रिकार्ड)	रू 100/- प्रतिमद	मानवीय
37.	जमा रसीदों का भुगतान दूसरे बैंक को देना	स्थानीय - जैसा बैंकर चेक जारी करने के लिए प्रभार लागू है बाहरी - जैसा कि विप्रेषणों के लिए प्रभार लागू है	

38. एटीएम सेवाओं के प्रभार

	वर्तमान सेवा प्रभार	संशोधित प्रभार	लगाने की विधि
(अ) <u>एटीएम-कम-डेबिट कार्ड</u> कार्ड जारी करने के दूसरे वर्ष से वार्षिक रख रखाव की फीस	रु 50 / -	रु 50 / -	प्रणाली- सीडीसी बेलापुर में ट्रिकल फीड के माध्यम से एक वर्ष में एक बार वसूल किए जाते हैं
(ब) <u>द्वितीयक/पुनः स्थापना कार्ड (डुप्लीकेट/रिप्लेसमेंट कार्ड)</u> द्वितीयक पिन/पिन का पुनः प्रतिपादन (रिजेनरेशन)	रु 200 / - रु 50 / -	रु 200 / - रु 50 / -	मानवीय
(स) <u>एटीएम उपयोग के लिए संव्यवहार प्रभार :</u> स्टेट बैंक समूह के एटीएम	नकद राशि निकालना अतिशेष की जानकारी	कुछ नहीं कुछ नहीं	स्वचालित कुछ नहीं -
कार्ड से कार्ड को अन्तरण संव्यवहार की सीमा रु 50000 / -	वर्तमान में कुछ नहीं (कोर पावर के अनुसार)	वर्तमान में कुछ नहीं (कोर पावर के अनुसार)	-

39. इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाएं-प्रभार :-

सेवाएं	संशोधित सेवा प्रभार	लगाने की विधि
<u>ईसीएस (क्रेडिट)</u> (i) गंतव्य बैंक के तौर पर (ii) प्रायोजक बैंक के तौर पर	कुछ नहीं रु 7.00 प्रति प्रविष्टि (न्यूनतम : रु 2750.00)	मानवीय
<u>ईसीएस (डेबिट)</u> (i) गंतव्य बैंक के तौर पर (ii) प्रायोजक बैंक के तौर पर	कुछ नहीं रु 3.50 प्रति प्रविष्टि (न्यूनतम : रु 1400.00)	मानवीय
<u>ईसीएस (डेबिट)</u> ग्राहक के खाते में राशि उपलब्ध न होने के कारण वापसी	रु 50 / - कुछ नहीं	मानवीय
ग्राहक के अधिदेशों (मेन्डेट्स) को प्रमाणित करने या सत्यापन करने का प्रभार	(i) गंतव्य बैंक के तौर पर (ii) प्रायोजक बैंक के तौर पर कुछ नहीं कुछ नहीं	मानवीय

40. सीबीएस सेवा प्रभार : वैयक्तिक / कृषि खंड के लिए

क्रम संख्या		वर्तमान प्रभार		संशोधित प्रभार		लगाने की विधि
		अधिकतम राशि		अधिकतम राशि		
(i)	नान होम सीबीएस शाखाओं में नकदी का जमा	रु 50000 / - प्रतिदिन	मुफ्त	रु 50000 / - (यदि नकदी जमा करने वाली शाखा के नियंत्रक से अनुमोदन ले लिया जाता है तो रु 50000 / - से अधिक की राशि भी जमा करवाई जा सकती है)	रु 50000 / - मुफ्त रु 50000 / - से अधिक तथा रु 1 लाख तक रु 100 / - रु 1 लाख से अधिक रु 100 प्रति लाख या उसका कोई भाग	मानवीय
(ii)	हमारी शाखाओं पर बनाए गये चेकों को नान-होम शाखाओं में जमा करवाना	कोई सीमा नहीं	उसी नगर में-मुफ्त दूसरे नगरों में रु 50000 / - प्रतिदिन तक - मुफ्त रु 50000 / - से अधिक एवं रु 5 लाख तक रु 1.50 / 1000 रु 5 लाख से अधिक -रु 1.00 / 1000 / - न्यूनतम रु 750 / - अधिकतम रु 1250 / -	कोई सीमा नहीं	उसी नगर में- मुफ्त दूसरे नगरों में -रु 1 लाख तक रु 6 / - प्रति संव्यवहार रु 1 लाख से अधिक तथा रु 5 लाख तक रु 28 प्रति संव्यवहार रु 5 लाख से अधिक रु 56 प्रति संव्यवहार	मानवीय
(iii)	नान-होम शाखाओं में, उसी नगर की दूसरे बैंकों की शाखाओं पर बनाए		ऊपर मद संख्या (ii) में दर्शाये हुए प्रभारों की तरह से वही प्रभार		ऊपर मद संख्या (ii) में दर्शाये गये प्रभारों की तरह ही वही प्रभार	

	गये चेक जमा करवाना*					
(iv)	नान-होम शाखाओं से चेकों का नकदीकरण		रु 50000/- तक प्रति दिन नकद राशि निकालना - मुफ्त (स्वयं तथा अन्य व्यक्ति के लिए)	रु 50000/- तक प्रति दिन नकद राशि निकालना (केवल स्वयं के लिए)	मुफ्त	मानवीय
(v)	होम शाखा से किसी दूसरी सीबीएस शाखा में किसी दूसरे व्यक्ति के खाते को निधियों का अन्तरण	कोई सीमा नहीं	ऊपर मद संख्या (ii) के अनुसार ही	कोई सीमा नहीं	उसी नगर में - मुफ्त दूसरे नगरों में रु 1 लाख तक रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 1 लाख से अधिक तथा रु 5 लाख तक रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 5 लाख से अधिक रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय
		ड्राफ्ट/बैंकर चेक जारी करना	इंटर कोर संव्यवहारों के लिए ऊपर मद संख्या ii में दर्शाये गये प्रभार + जारी करने के प्रभार	ड्राफ्ट/बैंकर चेक जारी करना	ऊपर मद संख्या ii में दर्शाये गये प्रभार + जारी करने के प्रभार	मानवीय
(vi)	नान-होम शाखा में पास बुक को पूरा करवाना				रु 10/- प्रति पास बुक	मानवीय

नोट:

- (i) जिस खाते में क्रेडिट दिया जा रहा है उसी खाते में से प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (ii) वसूले गये प्रभार, संव्यवहार को करने वाली शाखा को क्रेडिट किए जायेंगे।

- (iii) नान होम शाखाओं में किए गये संव्यवहार जहाँ दोनों ही लैग (डेबिट तथा क्रेडिट) में बाहरी शाखाओं के इंटर-कोर संव्यवहार संलिप्त है वहाँ केवल एक ही लैग के लिए प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (iv) कोई संव्यवहार उसी नगर का है या किसी दूसरे नगर का है इसका निर्णय होम-ब्रांच के केन्द्र के संदर्भ में किया जायेगा।
- (v) *जहाँ कोई चेक नान-होम शाखा में जमा करवाया जाता है तथा इसकी उगाही भी की जाती है वहाँ मद संख्या (40 (iii) और मद संख्या 17 में दर्शाए गये दोनों ही प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (vi) नये खोले गये खातों के लिए सावधानी : शाखाओं को नान-होम संव्यवहारों की पूरी जांच-परख कर लेनी चाहिए ताकि नान-होम शाखाओं से उदगम (ओरिजिनेटिड) संदेहात्मक क्रेडिट की संभावना से बचाव किया जा सके।

41. एसएमई एवं सीएण्डआई प्रखंडों के लिए संशोधित सीबीएस सेवा प्रभार

वर्तमान एसएमई इंटर-कोर दर		संशोधित एसएमई/सीएण्डआई सीबीएस प्रभार		लगाने की विधि	
सुविधा	सीएण्डआई तथा एसआईबी ग्राहकों के लिए		अधिकतम राशि		प्रभार
	अधिकतम राशि	प्रभार			
(i) नान-होम सीबीएस शाखा में नकद राशि जमा करवाना	रु 50000/- तक रु 50000/- से अधिक तथा रु 100000/- तक रु 100000/- से अधिक	रु 50/- रु 100/- रु 100/- प्रति लाख या उसका कोई भाग	रु 5 लाख यदि नकद राशि प्राप्तकर्ता शाखा के नियंत्रक अधिकारी से पूर्वानुमति मिल जाती है तो रु 5 लाख से अधिक नकद राशि भी जमा करवाई जा सकती है	रु 50000/- तक रु 50/- रु 50000/- से अधिक तथा रु 1 लाख तक रु 100/- रु 1 लाख से अधिक रु 100/- प्रति रु 1 लाख या इसका कोई भाग	मानवीय
(ii) हमारी शाखाओं पर बनाए गये चेकों को नान होम शाखाओं में जमा करवाना	रु 20000/- तक रु 20000/- से अधिक	मुफ्त रु 3.50 प्रति रु एक हजार न्यूनतम रु 70/- और अधिकतम रु 12500/-	<u>उसी नगर में</u> : मुफ्त दूसरे नगरों (बाहरी जगहों) के संव्यवहार रु 1 लाख तक : रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 1 लाख से अधिक और रु 5 लाख तक रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 5 लाख से अधिक रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय	

(iii) नान होम शाखाओं में, उसी केन्द्र की दूसरे बैंकों की शाखाओं के चेक जमा करवाना*	रु 20000/- तक रु 20000/- से अधिक	मुफ्त रु 3.50 प्रति रु एक हजार न्यूनतम रु 70/- अधिकतम रु 12500/-	<u>उसी नगर में:</u> मुफ्त दूसरे शहरों में: रु 1 लाख तक : रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 1 लाख से अधिक तथा रु 5 लाख तक : रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 5 लाख से अधिक: रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय
(iv) नान- होम शाखा से चेक का नकदीकरण (नकद/अन्तरण)	<u>केवल मल्टीसिटी चेक ही प्रयोग किए जाये</u> रु 5 लाख तक के चेक के लिए रु 5 लाख से अधिक तथा रु 10 लाख तक के चेक के लिए	रु 25/- प्रति संव्यवहार रु 50/- प्रति संव्यवहार	<u>केवल मल्टीसिटी चेक ही प्रयोग किये जाये नकद राशि</u> रु 50000/- तक <u>अन्तरण:</u> रु 5 लाख तक के लिए रु 5 लाख से अधिक और दस लाख तक के चेक के लिए	मानवीय मुफ्त रु 25/- प्रति संव्यवहार रु 50/- प्रति संव्यवहार
(v) होम ब्रांच से किसी अन्य पक्ष के किसी दूसरी सीबीएस शाखा के खाते को निधियों का अन्तरण	कोई सीमा नहीं	होम सेन्टर पर - कोई सीमा नहीं नान होम सेन्टर पर रु 20000/- तक कुछ नहीं रु 20000/- से अधिक रु 1.50 प्रति रु एक हजार न्यूनतम रु 70/- अधिकतम रु 12500/-	<u>उसी नगर में :</u> कुछ नहीं <u>दूसरे नगरों के लिए</u> रु 1 लाख तक : रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 1 लाख से अधिक तथा रु 5 लाख तक रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 5 लाख से अधिक रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय

नोट :

- (i) जिस खाते को क्रेडिट दिया जा रहा है उसी खाते से प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (ii) वसूले गये प्रभार, संव्यवहार को करने वाली शाखा को क्रेडिट किये जायेंगे।
- (iii) नान होम शाखाओं के माध्यम से किए गये संव्यवहारों में जहाँ डेबिट तथा क्रेडिट दोनों ही लैग बाहरी शाखाओं के इन्टर-कोर संव्यवहार संलिप्त होते हों वहाँ केवल एक लैग के लिए ही प्रभार वसूल किया जायेगा।
- (iv) क्या कोई संव्यवहार उसी नगर (इन्टर सिटी) है अथवा दूसरे शहर (इन्टर सिटी) है इसका निर्णय होम-ब्रांच के केन्द्र के संदर्भ में किया जायेगा।
- (v) *जहाँ चेक का जमा करवाना, नान-होम शाखा में हो और इसकी उगाही भी करनी हो वहाँ मद संख्या (41 (iii) और मद संख्या 17 में दर्शाए गये दोनों ही प्रभार वसूल किये जायेंगे।
- (vi) नये खोले गये खातों के लिए सावधानी : शाखाओं को नान-होम संव्यवहारों की पूरी छान बीन कर लेनी चाहिए ताकि नान-होम शाखाओं द्वारा जाली/आवांछित क्रेडिट के उद्गम (ओरिजिनेटिड) की संभावना से बचाव किया जा सके।

42. इलैक्ट्रानिक अन्तरण प्रभार:

1	आगत (इनवार्ड) आरटीजीएस / एनर्डएफटी / ईसीएस	मुफ्त कोई प्रभार नहीं	
2.	बाह्य संव्यवहार		
	(i) आरटीजीएस : रु 5 लाख तक रु 5 लाख से अधिक	रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय
	(ii) एनईएफटी रु 1 लाख तक रु 1 लाख से अधिक	रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 28/- प्रति संव्यवहार	मानवीय
	(iii) एसबीजीआरपीटी रु 1 लाख तक रु 1 लाख और अधिक रु 5 लाख तक रु 5 लाख और अधिक	रु 6/- प्रति संव्यवहार रु 28/- प्रति संव्यवहार रु 56/- प्रति संव्यवहार	मानवीय
3.	ईसीएस डेबिट, यदि संबंधित खातों में पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने की वजह से निष्पादित नहीं किया जा सके	रु 100/- प्रति संव्यवहार वसूल किए जायेंगे।	मानवीय

43. मल्टीसिटी चेकों के विषय में प्रभार

(अ) वैयक्तिक खंड के लिए

क्रम संख्या	मर्दे	वर्तमान निर्देश	संशोधित निर्देश	लगाने की विधि
1.	चेक बुक प्रभार	रू 2/- प्रति चेक लीफ	रू 3/- प्रति चेक लीफ	प्रणाली
2.	मल्टीसिटी चेकों को जारी करने के लिए ऊपरी सीमा	रू 50000/- प्रति संव्यवहार (नकद/अंतरण के लिए)	रू 50000/- प्रति संव्यवहार (नकद/अंतरण के लिए) दूसरी शाखाओं (नान होम शाखाओं) में किसी अन्य पक्ष को नकद राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा	

(ब) एसएमई एवं सीएण्डआई खंडों के लिए

क्रम संख्या	मर्दे	वर्तमान निर्देश	संशोधित निर्देश	लगाने की विधि
1.	चेक बुक प्रभार	रू 2/- प्रति चेक लीफ	रू 3/- प्रति चेक लीफ	प्रणाली
2.	मल्टीसिटी चेकों को जारी करने के लिए ऊपरी सीमा	रू 10 लाख प्रति चेक (नकद/अंतरण के लिए)	अधिकतम राशि रू 10 लाख प्रति चेक	-
3.	संव्यवहार प्रभार	रू 5 लाख तक के चेक के लिए रू 25/- प्रति संव्यवहार रू 5 लाख से अधिक और रू 10 लाख तक के चेक के लिए रू 50/- प्रति संव्यवहार	<u>नकद राशि</u> रू 50000/- तक <u>अन्तरण</u> रू 5 लाख तक के चेक के लिए रू 5 लाख से अधिक और रू 10 लाख तक के चेक के लिए	मुफ्त रू 25/- प्रति संव्यवहार रू 50/- प्रति संव्यवहार